नियम एवं शर्ते

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम के तहत संविदा आधार पर 01 प्रोग्राम असिस्टेंट की नियुक्ति बाबत् :-

01. शैक्षणिक योग्यता :-

(अ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, इन्टर्नशिप सहित एवं छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन।

(ब) कम्प्यूटर एम.एस. ऑफिस संबंधी सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा।

02. प्रोग्राम असिस्टेंट को फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम के अनुसार प्रतिमाह रूपये 25,000/- निश्चित समेकित राशि ही देय होगी एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

03. आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

04. प्रारंभ में यह नियुक्ति प्रथम 04 माह के लिए होगी तत्पश्चात् भारत सरकार आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार आगे भी जारी रहने की संभावना है।

05. कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होकर समन्वयक/ सहायक समन्वयक पेरिफेरल फार्मेकोविजिलेंस सेन्टर द्वारा सौंपे गये कार्यों को संपादित करना होगा।

06. प्रोग्राम असिस्टेंट को संस्था के पूर्व अनुमति के बिना संपादित किये गये कार्यो की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. संबंधित को त्यागपत्र देने की स्थिति में सभी संबंधित दस्तावेजों को संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा। यह सेवा पूर्णतः अंशकालिक होगी, अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

08. अनुबंधित व्यक्ति को नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।

09. प्रोग्राम असिस्टेंट को इन्टरमेडियरी फार्मेकोविजिलेंस सेन्टर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर एवं नेशनल फार्मेकोविजिलेंस सेन्टर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली से भी समन्वय स्थापित कर कार्य का संपादन करना होगा।

10. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

11. समन्वयक के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात् ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।

28/06/19 28.06.19 28.6.19

12. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।

13. कार्य संतोषप्रद न होने पर 01 माह पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का होगा। संबंधित भी एक माह पूर्व नोटिस या तत्काल 01 माह का संविदा वेतन जमा कर सेवा से मुक्त हो सकते हैं।

14. ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बी.ए.एम.एस. उपाधि एवं कम्प्यूटर एम.एस. ऑफिस संबंधी सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा होंगे वे ही आवेदन हेतु योग्य होंगे।

15. चयन हेतु नियमानुसार नीचे दिये गये अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(1) बी.ए.एम.एस. उपाधि में प्राप्त अंक - 70 अंक

(2) कम्प्यूटर एम.एस. ऑफिस संबंधी सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा - 20 अंक

(3) साक्षात्कार - 10 अंक

28/06/19 28.06.19 28.6.19